धारा 18 : विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय की उपलब्धता

(1) ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं,–

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने इस अधिनिमय के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो गया है और उसे ऐसा रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर दिया गया है, स्टाक में धारित इनपुटों और उस तारीख से, जिससे वह इस अधिनिमय के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित, अर्ध–परिसज्जित या परिसज्जित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा;

(ख) कोई व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करता है, स्टाक में धारित इनपुटों और रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित अर्ध–परिसज्जित या परिसज्जित माल के रूप में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में इनपुट प्रत्यय लेने का हकदार होगा;

(ग) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का संदाय करना बंद कर देता है, वहां वह उस तारीख से, जिससे वह धारा 9 के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित इनपुटों, स्टाक में धारित अर्ध–परिसज्जित या परिसज्जित माल के रूप में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगाः

परन्तु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता बिन्दु द्वारा कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए;

(घ) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की छूट–प्राप्त पूर्ति कराधेय पूर्ति हो गई है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसी छूट–प्राप्त पूर्ति से संबंधित स्टाक में धारित इनपुटों और स्टाक में धारित अर्ध–परिसज्जित या परिसज्जित माल के रूप में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में और उस तारीख से, जिसको ऐसी पूर्ति कराधेय हुई है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को ऐसी छूट–प्राप्त पूर्ति के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परन्तु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता बिन्दु द्वारा कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी पूर्ति से संबंधित कर बीजक जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उसे की गई माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति के संबंध में उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(3) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के गठन में, दायित्वों के अंतरण में विनिर्दिष्ट उपबंधों के साथ कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण के कारण कोई परिवर्तन होता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण करने की अनुज्ञा दी जाएगी, जो ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे विक्रीत, विलीन, निर्विलीन, समामेलित, पट्टे पर दिए गए या अंतरित कारबार के उसके इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में अनुपयोजित है।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया है, धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है या जहां उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति को पूर्ण रूप से छूट–प्राप्त हो गई है, वहां वह इलैक्ट्रोनिक

जमा खाते या इलेक्ट्रोनिक नकद खाते में विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो स्टाक में धारित इनपुटों और स्टाक में धारित अर्ध–परिसज्जित या परिसज्जित माल के

रू॰ में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय के बराबर है जिसमें से, यथास्थिति, ऐसे विकल्प का प्रयोग करने या ऐसी छूट की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को ऐसे प्रतिशतता बिन्दु को, जो विहित किया जाए, कम किया गया है :

परन्तु ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात् उसके इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में पड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यय की रकम और उपधारा (4) के अधीन संदेय रकम की संगणना ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए।

(6) ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी की पूर्ति की दशा में, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रतिशतता बिन्दु को घटाकर, जो विहित किया जाए, उक्त पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम का या धारा 15 के अधीन अवधारित ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर का, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करेगा :

परन्तु जहां स्क्रैप के रूप में रिफ्रैक्टरी ईंटों, सांचों और डाईं, जिग्स और फिक्सचरों की पूर्ति की जाती है, वहां कराधेय व्यक्ति धारा 15 के अधीन अवधारित ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य पर कर का संदाय कर सकेगा।

उपयुक्त नियमः नियम 40, 41, 43 एवं 44
उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी आईटीसी–01, जीएसटी आईटीसी–02 एवं जीएएसटी आईटीसी–03